न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 45/2018 (उदयपुर आर्डर)

1. गिरधारीलाल पिता केरिंग जी गुर्जर, निवासी सियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. लच्छीराम पिता केरिंग जी गुर्जर, निवासी सियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. लोगर पिता केरिंग जी गुर्जर, निवासी सियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा – 76
राज. भू–राजस्व अधि. 1956 विरूद्ध
निर्णय जिला कलक्टर उदयपुर दि0
20–08–2018 प्रकरण स. 21/2018

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री नरे''ा जणवा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

———::———

निर्णय दिनांक

27–09–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 118/2018 निर्णय दिनांक 11–07–2018 से ग्राम सियाखेड़ी की आराजी नंबर 363 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर अपीलान्टगण का नाजायज कब्जा मानते हुए उसके विरूद्ध बेदखली एवं भाास्ति का आरोप पारित किया।

तहसीलदार वल्लभनगर के उक्त निर्णय से रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा प्रथम अपील जिला कलक्टर उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 20–08–2018 से अपीलान्टगण की प्रथम अपील खारिज कर दी।

जिला कलक्टर उदयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 20–08–2018 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण ने इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील दिनांक 27–08–2018 को प्रस्तुत की।

अपील अन्दर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार को नोटिस जारी किये गये, जिस पर उनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही व्यक्तिगत होती है, सामुहिक नहीं हो सकती, परन्तु तहसीलदार ने तीनों अपीलान्टगण के नाम एक ही नोटिस जारी कर विधि के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अपीलान्टगण के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी से लगती हुई भूमि को अपीलान्टगण अपनी ही समझते आ रहे हैं तथा पीढ़ियों से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, उन्हें कभी भी नोटिस नहीं दिया गया इस कारण भूमि अपनी समझकर उनके द्वारा निर्माण करवाया गया है। अपीलान्ट का पुराना कब्जा होने से उक्त भूमि नियमन योग्य थी, किन्तु तहसीलदार वल्लभनगर ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर बेदखली का आदे”ा पारित कर दिया, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किये जावे तथा भूमि अपीलान्ट को नियमन/आवंटन करने की सिफारि”ा की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्टगण का नाजायज कब्जा होने से उसके विरूद्ध तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा

बेदखली की कार्यवाही की गयी है जो विधि सम्मत है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलान्ट को सुनकर इनकी प्रथम अपील खारिज की है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे तथा दोनों अधिनस्थ न्यायालय के निर्णयों को यथावत रखा जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलान्टगण यह स्वयं कथन करते हैं कि कि विवादित भूमि उनकी खातेदारी की भूमि से लगी होने के कारण वह उसे अपनी समझते रहे तथा उसका उक्त भूमि पर पीढ़ियों से कब्जा होने से भूमि नियमन योग्य है, किन्तु विवादित भूमि पर उसका पीढ़ियों से कब्जा रहा है एवं भूमि उसके नियमन योग्य है, इस बाबत् उसकी ओर से कोई दस्तावेज न तो अधिनस्थ न्यायालय में एवं न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं, जिससे उसका विवादित भूमि पर पुराना कब्जा साबित होता हो। वैसे भी राजकीय भूमि पर किसी के अनाधिकृत कब्जे को स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा जो बेदखली के आदे"ा दिये गये हैं वह विधि सम्मत हैं तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलान्टगण को विधिवत सुनकर उनकी प्रथम अपील खारिज की है, वह भी विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपोलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 20–08–2018 एवं तहसीलदार, वल्लभनगर का आदे"ा दिनांक 11–07–2018 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर